

लीज अवधि प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला एवं ओबरा रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.) को भारत सरकार के पत्र संख्या- 8B/04/1692/98/FC दिनांक- 08.03.1999 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 द्वारा 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे. वन भूमि 20 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे. (धारा-4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान में उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षों के लीज पर किये जाने की आवश्यकता है।

अधिसूचना अधिकारी
विद्युत पारेषण विभाग
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

प्रतिरस्ताक्षरित
प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र